



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270837
CG-DL-E-11032026-270837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947

No. 167]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1465).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1309) दिनांक 14 अगस्त 2025 (प्रकाशित दिनांक 19 अगस्त 2025)**

अनुसूची के क्रम संख्या 02, 08, 10 और 11, कॉलम (5) में — '09 फ़रवरी 2026' को '09 अगस्त 2026' से प्रतिस्थापित करें।

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./744/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 6th March, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1465).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1309) dated 14 August 2025 (Published on 19 August 2025)

Sl No. 02, 08, 10 and 11, column (5) of schedule — Substitute '09 August 2026' for '09 February 2026'.

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./744/2025-26]